वित्त निर्देश 51/2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 310/316/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 06.11.2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः -मंहगाई वेतन को समर्पित अवकाश की गणना के प्रयोजन हेतु शामिल करने बाबत् ।

संदर्भः- 1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 20/सी-903/वि/नि/चार/2005, दिनांक 19.1.2007
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 47/50/वि/नि/चार/2007, दिनांक 12.2.2007

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

संदर्भित ज्ञापनों के द्वारा दिनांक 1.4.2007 से मूल वेतन में 50 प्रतिशत के समान महंगाई भत्ता को राज्य शासन के शासकीय सेवकों के वेतन के साथ महंगाई वेतन के रूप में विलय के निर्देश जारी किये गये है ।

संदर्भ क्रमांक 1 की कंडिका 2 में उल्लेख है कि ''उक्त महंगाई वेतन की राशि महंगाई भत्ता तथा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादन (DCRG) के अतिरिक्त किसी अन्य भत्ते अथवा हितलाभ की गणना हेतु वेतन का भाग नहीं माना जायेगा ।''

कतिपय विभागों द्वारा राज्य शासन से यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि सेवानिवृत्ति पर भुगतान किये जाने वाले अवकाश नगदीकरण की गणना हेतु महंगाई वेतन को शामिल करना है अथवा नहीं । उक्त विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1.4.2007 से सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगदीकरण की गणना हेतु महंगाई वेतन भी शामिल किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

(एस.के. चकवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 311/316/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 06.11.2007

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग